मण्डी परिषद के संचालक मण्डल की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.2006 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थानः किसान मण्डी भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
बैठक का समयः अपरान्ह 04.00 बजे।

उपस्थिति

1.	श्री शिवपाल सिंह यादव, मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।	अध्यक्ष	श्री शिवपाल सिंह यादव, अध्यक्ष, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री अनीस अंसारी कृषि उत्पादन आयुक्त
3.	प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री बी0एल0 मीणा, विशेष सचिव, कृषि
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	प्रतिनिधि	श्री शिव प्रकाश विशेष सचिव, वित्त
5.	प्रमुख सचिव, खाद्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री सुधीर कुमार, प्रमुख सचिव, खाद्य
6.	सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य	श्री एस0ए0ए0 रिजवी, सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार
7.	निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री गंगादीन यादव निबन्धक, सहकारी समितियाँ
8.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नई दिल्ली	प्रतिनिधि	श्री शफीक अहमद, सहायक कृषि विपणन सलाहकार, लखनऊ।
9.	निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन, लखनऊ	प्रतिनिधि	श्री के0के0 मौर्य आलू विकास अधिकारी, मुख्यालय
10.	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य	श्री सभाजीत तिवारी, कृषि निदेशक
11.	निदेशक कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य	श्री देवेश चतुर्वेदी निदेशक, कृषि विपणन
12.	श्री देवेश चतुर्वेदी मण्डी निदेशक	सदस्य/ सचिव	श्री देवेश चतुर्वेदी सदस्य/ सचिव

मद संख्या	प्रस्ताव	कार्यवाही / निर्णय
	मा0 परिषद के संचालक मण्डल के निवर्तमान सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन तथा नवागन्तुक सदस्यों के स्वागत सम्बन्धी प्रस्ताव।	नये सदस्यों का स्वागत किया गया एवं मा0 निवर्तमान सदस्यों के सराहनीय सेवाओं हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
01.	मा0 परिषद की 115वीं बैठक दिनांक 29.03.2006 की कार्यवाही की पुष्टि।	कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
02.	गत 115वीं बैठक की अनुपालन आख्या पर विचार।	115वीं बैठक की अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।
03.	मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2005 में दिये गये निर्देशों एवं तत्क्रम में शासन के माध्यम से प्राप्त महाधिवक्ता, उ0प्र0 के अभिमत के क्रम में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्तावानुसार निम्न निर्णय लिये गये– 1. गैर नियमित कर्मचारियों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2005 के अनुपालन में कर्मचारियों की स्थिति एवं पदों की अवधारणा के सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर गठित समिति की आख्या दिनांक 20.05.2005 में प्रदर्शित परिषद / समिति स्तर पर विद्यमान सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्यवाही आरक्षण सम्बन्धी सुसंगत प्रचलित प्राविधानों का पालन करते हुए की जाय। 2. दिनांक 01.04.96 के बाद सेवा से निकाले गये गैर नियमित कर्मियों को भी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग तथा मण्डी परिषद / मण्डी समिति स्तर पर पदों को भरने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए निर्धारित आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाय। 3. मण्डी परिषद / समिति स्तर पर विद्यमान सीधी भर्ती के लोक सेवा आयोग / अधीनस्थ चयन सेवा अयोग की परिधि में आने वाले पदों को भरने हेतु अधियाचन अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को प्रेषित किया जाये तथा शेष पदों को भरने की कार्यवाही परिषद / समिति स्तर पर सम्बन्धित सेवा विनियमावली में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित की जाय। 4. वर्ष 1997 में मण्डी परिषद एवं मण्डी समितियों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापित 308 पदों के लिए एवं वर्ष 2003 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में बैकलाग पूर्ण करने हेतु विज्ञापित 198 पदों से सम्बन्धित चयन प्रक्रिया के प्रकरण में परिषद पत्र संख्या 2005 दिनांक 03.03.2000 एवं पत्र संख्या 651 दिनांक 09.07.2004 के क्रम में शासन से अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त होने के

		उपरान्त अधियाचना की कार्यवाही की जाय। 5. संचालक मण्डल द्वारा मण्डी परिषद/ मण्डी समिति के प्रचलित पदों के सृजन के सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति के बिन्दु पर परीक्षण किये जाने का तथा आवश्यकतानुसार प्रकरण पर शासन से कार्योत्तर अनुमोदन लेने का निर्णय लिया गया।
04	मण्डी स्थलों/ उप मण्डी स्थलों के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण/ आवास विकास परिषद की भूमि के अतिरिक्त यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एवं राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन औद्योगिक प्राधिकरण की भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।	मण्डी स्थलों/ उप मण्डी स्थलों के निर्माण हेतु विकास प्राधिकरण/ आवास विकास परिषद की भूमि के अतिरिक्त यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एवं राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन औद्योगिक प्राधिकरण की भूमि शासन की अनुमति से क्रय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

ह0/–
(देवेश चतुर्वेदी)
मण्डी निदेशक
सदस्य/ सचिव

अनुमोदित
ह0/–

(शिवपाल सिंह यादव)
अध्यक्ष, मण्डी परिषद,
उत्तर प्रदेश